Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 116 /13 व्यग–अधि0–उ0/2018 दिनांक– 06 /02/2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0/नि0/अ0/वि0/यां0/रा0मा0/ए0डी0बी0
लोक निर्माण विभाग,
.....।

विषय– खण्डीय मिनिस्टीरियल कार्मिकों के मध्य कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ– इस कार्यालय के ज्ञाप सं0–144/01व्यग–अधि0–उ0/18 दिनांक 21.01.2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों के मध्य कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुए उक्त के अन्तिम पैरा में निम्न आदेश जारी किये गये है कि "अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की महत्ता के दृष्टिगत/कार्यहित में कोई भी अन्य कार्य किसी भी कार्मिक को आवंटित किया जा सकता है।"

उक्त सम्बन्ध में खण्डीय मिनिस्टीरियल संगठन के मांग पत्र संख्या–33/मिनि0 एसो0 दिनांक 14.12.2020 के बिन्दु सं0– 07 पर उक्त कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण में अधिशासी अभियन्ता को किसी भी कार्मिक से कोई भी अन्य कार्य लेने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की गई है। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 25.01.2021 को मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर समझौता करते हुए इस कार्यालय के पत्र सं0–72/13व्यग–अधि0–उ0/18 दिनांक 30.01.2021 द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन समाप्त किये जाने की अपेक्षा की गई।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की महत्ता के दृष्टिगत/कार्यहित में किसी भी कार्मिक को कोई भी अन्य कार्य विशेष परिस्थितियों में ही आवंटित किया जायेगा।

(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
03/2/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोडा/हल्द्वानी/पौडी/देहरादून।
2– अधीक्षण अभियन्ता, ...वां वृत्त, लो0नि0वि0 ..... ।
3– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 खण्डीय मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

दिनांक 25.01.2021 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून की अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष कार्यालय में उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 खण्डीय मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित ग्रीवान्स बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. इं0 हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।
2. इं0 अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग खण्डीय मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन के पदाधिकारीगण:–

3. श्री सुनील दत्त कोठारी प्रान्तीय अध्यक्ष, लो0नि0वि0 खण्डीय मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ।
4. श्री दलीप सिंह बिष्ट, प्रान्तीय महामंत्री, लो0नि0वि0 खण्डीय मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ।
5. श्री विजय सिंह, चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष गढवाल।
6. श्री रमेश दत्त, नौटियाल, क्षेत्रीय महामंत्री, गढवाल।
7. श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, जनपदीय अध्यक्ष, अ0ख0, लो0नि0वि0, चकराता।
8. श्री हेमेश सनवाल, जनपदीय अध्यक्ष, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल।
9. श्री हयात आर्या, जनपदीय महामंत्री, नि0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल।
10. श्री श्रीपाल भण्डारी, जनपदीय महामंत्री, अ0ख0, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया :–

क्र0 सं0	बिन्दु	कार्यवाही
1–	निःसंवर्गीय पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों हेतु स्वीकृत संवर्गीय 76 पदों को विगत लंबी अवधि से संगठन स्वीकृत कराने की मांग करता आ रहा है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है, जबकि सिंचाई तथा ग्रामीण निर्माण विभाग में इन्ही खण्डों हेतु संवर्गीय पद स्वीकृत है।	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों में मिनि0 कार्मिकों के पूर्व में स्वीकृत संवर्गीय 76 पद जो निःसंवर्गीय किये गये हैं, को संवर्गीय पदों में स्वीकृत किये जाने हेतु पुनर्गठन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।
2–	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन है, परन्तु इन खण्डों में लो0नि0वि0 के मिनिस्टीरियल कार्मिक कार्यरत है, चूंकि विभाग में मिनिस्टीरियल कार्मिकों की अत्यधिक कमी है। अतः इस विभाग के अधीन कार्यरत रहे कार्मिकों को खण्डीय कार्यालयों में तत्काल वापस किया जाय ।	इस सम्बन्ध में शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
3–	स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के भीमताल एवं भवाली खण्डों को दुर्गम खण्डों में चिन्हित किया जाय।	भीमताल एवं भवाली की रेल हैड से दूरी, आधारभूत सुविधाएं नैनीताल के समकक्ष ही हैं, जिसके कारण भीमताल व भवाली खण्ड का नैनीताल से अलग कर दुर्गम में चिन्हीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। फिर भी पूर्व में किये गये संशोधन के अनुसार लो0नि0वि0 के अन्य संधों/संवर्गों से सुझाव प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4–	स्थानान्तरण अधिनियम में समूह ख के कार्मिकों की तैनाती गृह जनपद से बाहर तथा समूह ग के कार्मिकों की तैनाती गृह तहसील/ब्लाक से बाहर के प्राविधान मात्र मिनिस्टीरियल संवर्ग पर लागू किये जा रहे है, जबकि विभाग के अन्य संवर्ग के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी अपने गृह जनपद/तहसील/ब्लाक में ही कार्यरत है तथा तैनात किये जा रहे है। अतः मिनिस्टीरियल संवर्ग को भी इस व्यवस्था से मुक्त रखा जाय।	प्रकरण दिशा–निर्देश हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5-	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा कार्यप्रभारित की सेवा का लाभ देते हुए कार्मिकों को पेंशन/ग्रेच्यूटी/एरियर दिये जाने के आदेश दिये गये है, परन्तु विभाग आज तक भी यह स्पष्ट नही कर पाया है कि लाभ किस तरह से दिया जाना है। पूर्व में भी संगठन लगातार इस बात को लिखित में उठाता आ रहा है। विभाग द्वारा बार-बार अपने आदेशों में परिवर्तन किये जाने से एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा क्षमता से अधिक कार्य हमारे कर्मचारियों को करना पड रहा है। विभागाध्यक्ष कार्यालय में वेतन निर्धारण वित्त नियंत्रक द्वारा जिस प्रकार से चैक किया जा रहा है उसे कोषागार नही मान रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यदि ऐसे प्रकरणों में विलम्ब होता है और मिनिस्टीरियल कार्मिकों को दोषी माना जाता है, तो इसके विरोध में संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में आमरण अनशन पर बैठने हेतु बाध्य हो जाऊंगा।	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उप समिति की दिनांक 17.03.2020 को हुयी बैठक में विचार विर्मश के उपरान्त निर्देशित किया गया कि वर्कचार्ज की सेवा को मात्र पेन्शन हेतु अर्हकारी मानते हुये ऐसे सभी सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेन्शन/ग्रेच्युटी की गणना उन्हे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अन्तिम वेतन के अनुसार की जानी है। तदनुसार इस कार्यालय कार्यालय के ज्ञाप सं0-163/23 का0प्र0 -अधि0/20 दिनांक 17.03.2020 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
6-	कार्मिकों की कार्य कुशलता एवं दक्षता बढाने हेतु यह संगठन लगातार मांग करता आ रहा है कि नये नियुक्त होने वाले तथा अन्य सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अब ई-आफिस व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है। बिना प्रशिक्षण के यह व्यवस्था कैसे लागू हो पायेगी।	इस कार्यालय के पत्र संख्या-77/183 प्रशिक्षण/19 दिनांक-27.01.2021 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय/खण्डीय संवर्ग के कनिष्ठ सहायकों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिलाये जाने एवं तिथि निर्धारित करने हेतु मैनेजिगं डायरैक्टर, बिल एण्ड स्किल कीएशन (प्रा0) लिमिटेड, 16 डान्डा नूरीवाला, न्यू दून ब्लूसम्स स्कूल के सामने, राहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड को लिखा गया है।
7-	खण्डीय कार्मिकों के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के कार्यालय ज्ञाप सं0-519/01व्यग-अधि0-उ0/15 दिनांक 30.04.2016 एवं सं0-144/ 01व्यग-अधि0-उ0/18 दिनांक 21.01.2019 में यह अंकित है कि अधिशासी अभियन्ता/कार्यालयाध्यक्ष कार्य की महत्ता के दृष्टिगत/कार्यहित में कोई भी अन्य कार्य किसी भी कार्मिक से ले सकते है। इस कारण अधिकतर खण्डों में अधिशासी अभियन्ता अपनी मन मर्जी से कार्य वितरित करते है, तथा ऐसे कार्मिक को सभी कार्य दिये जाते है जो अधिशासी अभियन्ता के निकट होते है। जिसके कारण कार्यालय में कार्मिकों में मनमुटाव हो जाता है और खण्डो मे शिकायत की भरमार हो जाती है। अतः उक्त कार्य दायित्वों के निर्धारण में अधिशासी अभियन्ता को किसी भी कार्मिक से कोई भी कार्य लेने की बाध्यता समाप्त की जाय।	खण्डीय मिनिस्टीरियल कार्मिकों के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-144/01व्यग- अधि0-उ0/18 दि0-21.01.2019 के अन्तिम पैरा में निम्न आदेश जारी किये गये है कि- "अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की महत्ता के दृष्टिगत/कार्यहित में कोई भी अन्य कार्य किसी भी कार्मिक को आवंटित किया जा सकता है।" उक्त सम्बन्ध में समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपरोक्त विद्यमान व्यवस्था को विशेष परिस्थितियों में ही लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
8-	पदोन्नत कार्मिकों के समायोजन से पूर्व संगठन को विश्वास मे नही लिया जाता, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरण/समायोजन में छूट नही दी जा रही है।	पदोन्नत कार्मिकों के समायोजन से पूर्व संगठन को यथासम्भव विश्वास में लिया जाता रहा है तथा इस कार्यालय द्वारा स्थानान्तरण एक्ट- 2017 के नियम 17 के उपनियम-2 (घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव एवं जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव को वार्षिक स्थानान्तरण में छूट प्रदान की जा रही है।
9-	कतिपय कार्यालयध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकरण में सीधे मिनिस्टीरियल कार्मिकों को दोषारोपित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर ली जाती है, जबकि दोषी स्वयं कार्यालयध्यक्ष एवं अधीनस्थ टैक्नीकल स्टाफ होता है।	विभाग द्वारा सभी दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यचारी आचरण नियमावली व अनुशासन एवं अपील नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13 yaga

10–	कनिष्ठ अभियन्ता नियमावली में सिंचाई विभाग की तरह मिनिस्टीरियल संवर्ग के उन कार्मिकों, जिन्होने अनुगति लेकर तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो, को 5% के स्थान पर 10% कोटा निर्धारित करने हेतु नियमावली में संशोधन किया जाय।	मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–23.01.2018 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समस्त राजकीय तकनीकी विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता/अधीनस्थ अभियन्ता सेवा (समूह–ग) की सम्मिलित सेवा–नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है, जिसमें वांछित संशोधन भी विचाराधीन है।
11–	मानचित्रकार के पद पर अधीनस्थ संवर्गो हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत मिनिस्टीरियल संवर्ग को भी सम्मिलित किया जाय।	उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग–03 भर्ती का स्रोत नियम–5 में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु समूह 'ग' (मिनिस्टीरियल) का कोटा रखे जाने हेतु ड्राफ्ट नियमावली इस कार्यालय के पत्र सं0–892/91 व्यव–सामान्य/16 दिनांक–19.11.2020 द्वारा यथोचित निर्णय हेतु शासन को प्रेषित की गयी है।

ह0/-
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 72 /13व्यग–अधि0–उ0/2017–18 दिनांक– 30/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वित्त नियन्त्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी।
5. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, देहरादून।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–I, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,..... वृत्त, लो0नि0वि0, ...
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता,..... खण्ड, लो0नि0वि0.....
9. अधिशासी अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री, उत्तराखण्ड खण्डीय मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार हुई सहमति के अनुसार चरणबद्ध आन्दोलन समाप्त करने का कष्ट करें।
11. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन 'क'/'ख'/'घ'/कार्यप्रभारित/परिवाद/प्रशिक्षण वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

30/01
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
30/01/21